

**Central Goods & Services Tax Rules, 2017**

**Rule 111 : Application to the Appellate Tribunal**

- (1) An application to the Appellate Tribunal under sub-section (3) of section 112 shall be made electronically or otherwise, in **FORM GST APL-07**, along with the relevant documents on the common portal.
  - (2) A certified copy of the decision or order appealed against shall be submitted within seven days of filing the application under sub-rule (1) and an appeal number shall be generated by the Registrar.
-

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**नियम 111 : अपील अधिकरण को आवेदन**

- (1) धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 में अपील अधिकरण को कॉमन पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपील की जाएगी।
  - (2) प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 में अपील की हार्डकॉपी तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी और रजिस्ट्रार द्वारा अपील संख्या दी जाएगी।
-